

कार्यालय
आयकर आयुक्त
आयकर भवन, छावनी, औरंगाबाद

सं. औ/आ.आ./प्रशा./80G(5)/ 188/23 /2010-11/

दिनांक : 25/11/2010

आदेश
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5)।

एतद्वारा द क्रीन्सेन्ट फाउन्डेशन, 1-4-48, मौलाना आज़ाद नगर, नांदेड़. इस संस्था को उनके दिनांक 12/05/2010 के आवेदनपत्र के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5) के तहत पंजीकृत किया जाता है।

२. तदनुसार इस संस्था को दिया जाने वाला दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5) के अंतर्गत, दानदाता के पक्ष में छुट मिलने का पात्र होगा।
३. यह आदेश दिनांक 12/05/2010 से लागू रहेगा।

Sd/-

(डॉ ओ. पी. ककरालिया)
आयकर आयुक्त, औरंगाबाद.

कार्यालय

आयकर आयुक्त, औरंगाबाद;
दिनांक : 25/11/2010

प्रतिलिपियां प्रेषित -

1. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेज-3, नांदेड़।
2. कर निर्धारण अधिकारी, वार्ड - 3(1), नांदेड़।
3. उपरोक्त संस्था को, उसके मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य अधिकारी के मार्फत।

कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें -

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीदों में इस आदेश की संख्या और तारीख का उल्लेख होना चाहिए।
2. ऐसी रसीद-बहियों का रख-रखाव सही ढंग से किया जाना चाहिए तथा एक विशिष्ट रसीद बही रजिस्टर में उनके प्रयोग का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए।
3. जहां जरूरी हो वहां न्यास धारा 80G(5)(1)(C) के अनुसार प्रमाणपत्र रसीद के साथ देना चाहिए।
4. आय और व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाए।
5. यदि आगे नविनता की आवश्यकता हो तो कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित कागजातों के साथ इस कार्यालय को फार्म नम्बर 80G में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
 1. आय और व्यय के हिसाब का विवरण और बैलेंस शीट (पिछले तीन सालों का)
 2. जमा और ब्याज की अदायगी का विवरण, जहां ब्याज की रकम रु. 2,500/- से अधिक हो।
 3. रु. 5,000/- से अधिक दान देने वाले दानदाताओं का पुर्ण विवरण, पूर्ण पते के साथ दें।
 4. संगठन के संविधान /ट्रस्ट डीड/ज्ञापन की एक प्रति, यदि उसमें कोई परिवर्तन हुए हों तो।
 5. सभी न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दें कि उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 13(1) के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं किया है, तथा संख्या 11 व 12 के प्रावधानों की पात्र हैं।



(पी. आर. शोलोकार)

आयकर अधिकारी (मुख्या)(प्रशा.) ,

कृते आयकर आयुक्त, औंबाद.